सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी दीपक सोनी, कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक-202009160100013/01/ब-121/अपील/2019-20

श्री लैखन राम पिता बुधराम,
उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड
निवासी रेल्वे स्टेशन चौक,
आंवराभाटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ.ग. ....**अपीलार्थी**

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....**उत्तरवादी**

-आदेश-

(पारित दिनांक 01 / 12 /2020)

श्री लैखन राम पिता बुधराम, उम्र 60 वर्ष, जाति गोंड निवासी रेल्वे स्टेशन चौक, आंवराभाटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ.ग. के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत् जन सूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के समक्ष दिनांक 06-07-2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा वांछित सूचना का प्रदाय आवेदक को निर्धारित समयावधि के अंदर नहीं करने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में दिनांक 31-08-2020 को प्रस्तुत किया गया अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर इस न्यायालय के पत्र दिनांक 4323/रीडर/सूकाअ/05/2019 दंतेवाड़ा दिनांक 05-09-2020 के द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क रू. 50.00 मात्र का नॉन ज्युडिशियल स्टांप न्यायालय में दिनांक 08-09-2020 को प्रस्तुत करने पर छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग द्वारा जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी संबंधित जिले के कलेक्टर होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 09-09-2020 को प्रकरण दर्ज कर सुनवाई प्रारंभ की गई।

1 अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील के साथ जन सूचना अधिकारी को संबोधित आवेदन पत्र दिनांक 06-07-2020 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपील शुल्क 50.00 रू. मात्र नान ज्युडिशियल स्टांप कमांक क्रमशः 18 एए 548537, 18 एए 548538, 18 एए 548539, 18 एए 548540, 18 एए 548542 (प्रति स्टांप का मून्य रू. 10.00) की मूल प्रति संलग्न किया है।

2 अपीलार्थी के प्रथम अपील का अवलोकन किया गया जिसमें लेख किया है कि उनके द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को दिनांक 06-07-2020 को प्रस्तुत आवेदन में ग्राम आंवराभाटा स्थित भूमि खसरा नं 62/2 रकबा 0.263 हे. से संबंधित बिंदुवार सूचना प्रदाय करने निवेदन किया गया है जो समय-सीमा समाप्त होने के उपरांत भी उन्हें प्रदाय नहीं की गई।

3 जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा से अपील का जवाब प्रस्तुत करने तथा अपीलार्थी को दस्तावेजों सहित दिनांक 08-10-2020 को सुनवाई हेतु उपस्थित होने सूचना पत्र कमांक 4636/रीडर/सूकाअ/01/2019-20 दिनांक 24-09-2020 जारी किया गया।

4 प्रकरण की सुनवाई तिथि 08-10-2020 को जन सूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं अपीलार्थी उपस्थित। उभय पक्ष को समक्ष में सूना गया। जन सूचना अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के द्वारा नामित प्रतिनिधि उपस्थित होकर उनके पत्र कमांक 1864/अविअ/ज.सू.अ./2020 दंतेवाड़ा दिनांक 07-10-2020

के द्वारा जवाब/दस्तावेज पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब अस्पष्ट होने के कारण पुनः स्पष्ट जवाब अगली सुनवाई तिथि दिनांक 22–10–2020 को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 22–10–2020 को जन सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई सूचना तहसीलदार दंतेवाड़ा से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार दंतेवाड़ा को मूल आवेदन पत्र को अंतरण किया जाना उल्लेख है।

निष्कर्ष :–

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील व संलग्न दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर बिन्दुवार निष्कर्ष इस प्रकार है :–

1 अपीलार्थी ने अपील के साथ जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दंतेवाड़ा के समक्ष आवेदन पत्र की छायाप्रति दिनांक 06–07–2020 संलग्न किया है।

2 जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा अपील का जवाब प्रकरण की सुनवाई दिनांक 22–10–2020 को प्रस्तुत किया गया।

3 अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना में चाही गई सूचना जन सूचना अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है तथा चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है

4 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(2) के तहत अपीलार्थी को 30 दिवस के भीतर सूचना प्रदाय करने का प्रावधान है। जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने निर्धारित समयावधि में सूचना प्रदाय नहीं किया है।

जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के द्वारा अपील का जवाब निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वांछित सूचना न्यायालय तहसीलदार दंतेवाड़ा में उपलब्ध होना उल्लेख है। अतएव अपीलार्थी का अपील स्वीकार करते हुए उनके द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार दंतेवाड़ा से प्राप्त कर जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को निःशुल्क प्रदाय करने का आदेश पारित किया जाता है।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
सूचना का अधिकार
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

पृ0क0/1408/सू.काअ./अपील/2020 दन्तेवाड़ा दिनांक 11–12–2020

प्रतिलिपि :–

1– जन सूचना अधिकारी, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2– श्री लैखन राम पिता बुधराम, निवासी रेल्वे स्टेशन चौक, आंवराभाटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित। इस आदेश से संतुष्ट न हों तो आप 90 दिवस के भीतर नीचे दिये पते पर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3– डी.आई.ओ., एन.आई.सी. केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पता:–

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ.ग.)

कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
सूचना का अधिकार
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा